राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म 488/2021	प्रहलाद बनाम गोवर्धन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 10/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी	
10/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपीलार्थी की बहस समाय करते हुये आदेश दिनांक 15/02/2021 पारित करते हुये उभयपक्ष को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली आज प्रशासन गाँवो के संग अभियान कैम्प हीरावाला में नियत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18/10/2021 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अपील मीमो में अंकित तथ्यों एवं रेस्पो. की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को विवेचित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर होती है। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर भी अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18/10/2021 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर